



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 2376 सन् 2026

नैपाल सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अर्जेंद्र कुमार

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायलय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

संदर्भ: सुधार आवेदन संख्या 2 सन् 2026

1. सुधार आवेदन के माध्यम से, पैराग्राफ-2 में दिनांक 18.02.2026 के आदेश में "खंड विकास अधिकारी का कोई पद नहीं है" शब्दों को हटाने के लिए सुधार की मांग की गई है, जबकि इसे "खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में स्टेनोग्राफर(आशुलिपिक) का कोई पद नहीं है" के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

2. तदनुसार सुधार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

फरवरी 27, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"